123

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : फा.7(29)सविरा/नियम/66 पार्ट–2 दिनांक :

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण में अध्यक्ष से भिन्न तीसरे सदस्य के पद पर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 105 की उप धारा (5) सहपठित राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 102 के अन्तर्गत नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए इच्छुक पात्रताधारी अभ्यर्थियों से एतदद्वारा, आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित पात्रता निम्नानुसार है:–

1. अभ्यर्थी या तो कोई पारंगत अधिवक्ता हो, जिसे सहकारी विधि में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो, अथवा
2. अभ्यर्थी सहकारी क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई ऐसा सहकार सेवी हो, जो विधि स्नातक हो एवं जो राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं में कम से कम दो बार पदाधिकारी रहा हो।

ऐसे सदस्य की सेवाओं का निबन्धन और शर्तें राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 105 की उप धारा (5) एवं नियम, 2003 के नियम 102 के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किये जावेंगे तथा सदस्य को प्रतिमाह 55,000/– रूपये वेतन देय होगा। चयन के पश्चात् सदस्य को अपनी सदन निलम्बित करने की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता एवं सहकारी विधि में अनुभव का स्पष्ट उल्लेख हो, अपनी पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति सहित, दिनांक 23-08-2018 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष निम्न पते पर किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

पता : रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान
कमरा नं. 308, नेहरू सहकार भवन, बाईस गोदाम, जयपुर – 302006

30/07/18

रजिस्ट्रार